



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 168]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अप्रैल 2015—वैशाख 10, शक 1937

### वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्य प्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

अफीम उत्पादक जिला नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों का निश्चित आरक्षित मूल्य पर टेंडर द्वारा निष्पादन किये जाने तथा पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों की स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था वर्ष 2015-16

ग्वालियर, दिनांक 30 अप्रैल 2015

क्रमांक 6 (स) पॉपी./लाय./2015-16/156 भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस अधिनियम, 1985 की धारा 74-ए के अंतर्गत जारी आदेश क्रमांक-3, एफ. क्रमांक एन.-616/01/2003/एन.सी-आई, दिनांक 19 फरवरी, 2015 के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के ज्ञाप क्रमांक 985/2015/2/पांच, दिनांक 15 अप्रैल, 2015 अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी एवं पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2015-16 की शेष साढ़े दस माह की अवधि अर्थात् दिनांक 16.05.2015 से दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि के लिये अंतिम रूप से मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम में पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों का निराकरण, इस सूचना पत्र के परिशिष्ट क्रमांक-एक में दर्शाई गई तिथियों एवं स्थानों पर संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा पुथक-पृथक लायसेंसवार, टेंडर आमंत्रित कर किया जायेगा। जो व्यक्ति टेंडर की कार्यवाही में भाग लेना चाहे, वे परिशिष्ट क्रमांक-एक में दर्शाये गये अनुसार टेंडर निष्पादन हेतु नियत स्थान/स्थल पर उपरिथित होकर नियत तिथि एवं समय तक नियमानुसार क्रय किये गये प्रपत्र में टेंडर ऑफर प्रस्तुत कर सकते हैं। उपरोक्त से संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, निष्पादित किये जाने वाले पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, लायसेंसवार विगत तीन वर्षों में कृषकों से क्रय किये गये पॉपीस्ट्रा की मात्रा, परिवहन फीस, निर्यात फीस, डगूटी की दर आदि की जानकारी (सेलपेपर) संबंधित जिलों के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के टेंडर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही, यदि किसी कारण-वश घोषित नियत तिथि को पूरी नहीं हुई, तो यह कार्यवाही संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार, अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस अधिनियम, 1985 की धारा 74-ए के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक-2 एफ. क्रमांक एन.-616/01/2003/एन.सी-आई, दिनांक 01 मार्च, 2013 सहपरित आदेश क्रमांक-3 एफ. क्रमांक एन.-616/01/2003/एन.सी-आई, दिनांक 19 फरवरी, 2015 अनुसार आगामी वर्ष 2016 में उत्पादित होने वाले पॉपीस्ट्रा को वापिस खेतों में ही जला कर अथवा उसे कृषि क्षेत्र में ही प्लाउ बैक कर नष्ट कर दिया जायेगा। इसका अल्प मात्रा में भी संग्रहण गंभीर अपराध की श्रेणी में वर्गीकृत होगा।

**नोट:-** टेण्डर द्वारा निष्पादन से तात्पर्य केवल अफीम उत्पादक जिलों में, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के घोषित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध केवल टेण्डर द्वारा ऑफर प्राप्त कर लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया से है।

### पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

#### 1. व्यक्ति जो टेण्डर देने से वर्जित होंगे

टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में केवल ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों। निम्नांकित व्यक्ति टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर देने के लिए अयोग्य रहेंगे :-

- 1.1 कोई भी व्यक्ति, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।
- 1.2 कोई भी व्यक्ति जो खत: अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा/अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो।
- 1.3 वर्ष 2014-15 की अवधि का अनुज्ञाप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2014-15 की संपूर्ण देय लायसेंस फीस न पटाई गई हो।
- 1.4 कोई भी व्यक्ति, जो पहले लायसेंसी रहा हो और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, कलेक्टर (निष्पादन करने वाले अधिकारी) के मत में संतोषजनक न रहा हो।
- 1.5 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो।
- 1.6 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है।
- 1.7 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या इंडियन मर्केन्टाइज मार्कर्स अधिनियम 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 या नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेस अधिनियम, 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

#### टिप्पणी—

- 1— कालाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.2 एवं 1.3 में उल्लिखित शर्त कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।
- 2— काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.5 की शर्त कलेक्टर (निष्पादनकर्ता अधिकारी) द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

#### 2. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत करना :-

प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होगे कि वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है। तदनुसार वह अनुसूचित बैंक की शाखा का नाम एवं रसान, उसमें संधारित बचत/चालू बैंक खातों का क्रमांक, रसायं का पता तथा रसायी आयकर लेखा (PAN) क्रमांक की जानकारी अंकित कर, किसी अनुसूचित बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

**पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-२) लायसेंसों के टेप्डर द्वारा  
निष्पादन में टेप्डर की शर्तों को, टेप्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार**

टेप्डरदाता का स्वप्रमाणित फॉर्म जो राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा संबंधित जिले के जिला आवकारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किये गये, विभागीय राजपत्रित अधिकारी के द्वारा प्रमाणित हो।

- मैं ..... (टेप्डरदाता का नाम) पिता/पति श्री .....  
 निवासी ..... धन्धे का स्थान .....  
 आयु ..... (वर्ष) शपथ पूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि :-  
 (1) मेरे अनुसूचित बैंक के वर्तमान बचत/चालू खाते का क्रमांक ..... व बैंक का नाम तथा पता ..... है।  
 (2) मेरे स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों/डायरेक्टर/डायरेक्टरों का स्थाई आयकर लेखा (PAN) क्रमांक ..... है।  
 (3) मैंने पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए टेप्डर द्वारा निष्पादन की शर्त पढ़-सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेप्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ।  
 (4) मैंने जमा की गई अर्नेस्टमनी का पूर्ण विवरण संलग्न प्रस्तुत कर दिया है।  
 (5) मैं टेप्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निष्क्रिय की गयी अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन, प्रतिभूति, अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के समर्पहरण के लिए करार करता/करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता/करती हूँ कि टेप्डर द्वारा पुनः निष्पादन/पुनः निवर्तन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की रकम, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

**टीप :-**

- (1) पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के प्रत्येक लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेप्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपने वर्तमान बैंक के बचत/चालू खाते का क्रमांक एवं स्थायी आयकरदाता लेखा (PAN) क्रमांक उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र में भरकर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया जायेगा।  
 (2) टेप्डर दाता यदि पंजीकृत फर्म/कम्पनी है तो उसके कार्यकारी भागीदार/मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे।

श्री/श्रीमती ..... को उपरोक्त उल्लेखित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेप्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है/अनुमति दी गई है।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता अधिकारी  
 जिला .....

दिनांक .....

**3. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना:-**

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेप्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।



संलग्न किया जा रहा है। इस शपथ पत्र की सत्यापित प्रति, टेण्डरदाता अन्य प्रत्येक लायसेंस के टेण्डर के साथ संलग्न करेगा।

**4. टेण्डरदाता की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में :-**

टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाताओं को उनकी व्यक्तिगत पहचान एवं उनके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की किसी अनुसूचित बैंक के शाखा प्रबंधक अथवा नोटरी अथवा आयकर अधिकारी अथवा केन्द्रीय/राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी प्रति "भेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है" अंकित कर अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ संलग्न प्रस्तुत करना होगी :-

**4.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।**

- (1) अद्यतन वैध पासपोर्ट।
- (2) स्थायी आयकर लेखा संख्या (PAN) कार्ड।
- (3) निवाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC CARD)।
- (4) अद्यतन वैध ड्रायविंग लायसेंस।
- (5) फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- (6) आधार कार्ड

**4.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे।**

- (1) अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल।
- (2) अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।
- (3) अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि-फिलिंग की रसीद।
- (4) अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।
- (5) किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी अद्यतन वैध फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।
- (6) स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र
- (7) बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- (8) आधार कार्ड

**5. यदि कोई टेण्डरदाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है तो टेण्डर देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगे:-**

- (i) संबंधित फर्म/कम्पनी का पंजीयन प्रमाण पत्र/निगमन प्रमाण पत्र अथवा उसकी विधिवत अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड/कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची।
- (iv) संबंधित फर्म/कम्पनी की ओर से, टेण्डर द्वारा निष्पादन में भाग लेने के आशय के Resolution के साथ, टेण्डरदाता के पक्ष में निष्पादित/जारी अधिकार-पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति।

**6. आरक्षित मूल्य :-**

वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए अफीम उत्पादक जिला नीमच, मर्दसौर एवं रतलाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य, उनकी वर्ष 2014-15 की सम्पूर्ण अवधि वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर निर्धारित किया जायेगा। यदि वर्ष 2014-15 में किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय (पी.एस.-2) के लायसेंस का निष्पादन आंशिक अवधि के लिये हुआ है, तो उस लायसेंस की वार्षिक लायसेंस फीस आनुपातिक रूप से पुनर्गणित की जायेगी अर्थात् जिस अवधि के लिये लायसेंस का निष्पादन वर्ष 2014-15 में सम्पन्न हुआ है, उसके लिये प्राप्त लायसेंस फीस के आधार पर एक दिवस की लायसेंस फीस की गणना कर उसे 365 से गुणा कर उसकी सम्पूर्ण वर्ष के लिये पुनर्गणना की जायेगी। तदनुसार इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर, उस लायसेंस का वर्ष 2015-16 का आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा।

**7. अर्नेस्टमनी जमा करना :-**

प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर, अर्नेस्टमनी नगद अथवा सम्बंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी अनुसूचित बैंक

की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी। प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत् पुष्टि/संतुष्टि कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरान्त ही टेंडर मान्य किया जायेगा। सफल टेंडरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गयी राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 09 में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिशूलि राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा/अथवा अवशेष राशि (यदि कोई हो) वापिस की जावेगी।

असफल टेंडरदाता को जमा की गई अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी। इसे वापिस प्राप्त करने के लिए टेंडरदाता को रेवेन्यू रटाप्प लगाकर पावती देना होगी।

#### टेंडर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया :-

वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेंडर द्वारा निष्पादन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

- 8.1 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस निम्नांकित परिशिष्ट क्रमांक—एक में घोषित स्थान पर निर्धारित तिथि एवं समय अनुसार, टेंडर द्वारा निष्पादित/निर्वर्तित किये जायेंगे।
- 8.2 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला नीमच, मन्दसौर, एवं रत्लाम में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के निराकरण हेतु, क्रमांकित टेंडर प्रपत्र जिला आबकारी अधिकारी, जिला नीमच, जिला रत्लाम एवं जिला मन्दसौर के कार्यालयों से परिशिष्ट क्रमांक—एक में उल्लेखित अवधि एवं समय में क्रय किये जा सकेंगे। टेंडर प्रपत्र का मूल्य रुपये 5000/- रहेगा।
- 8.3 विभाग द्वारा निर्गत टेंडर प्रपत्रों का विक्रय नगद अथवा संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट/बैंक कैश आर्डर/बैंकर्स चैक के माध्यम से कण्डिका क्रमांक 8.2 में उल्लेखित नियत राशि के भुगतान पर किया जायेगा। विभाग द्वारा निर्गत टेंडर प्रपत्र ही रवीकार किये जायेंगे। टेंडर प्रपत्र के मूल्य की राशि एम.पी.टी.सी.-६ रसीद द्वारा ली जायेगी। यही एम.पी.टी.सी.-६ रसीद, निष्पादन स्थल पर उपस्थित रहने के लिए टेंडरदाता के प्रवेश पत्र के रूप में मान्य की जायेगी।
- 8.4 एक व्यक्ति पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के किसी लायसेंस के लिए एक ही टेंडर प्रस्तुत कर सकेगा, परंतु एक व्यक्ति पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के कई अथवा समस्त लायसेंसों के लिए अलग—अलग टेंडर प्रस्तुत कर सकेगा।
- 8.5 निर्गत टेंडर प्रपत्र दो भागों में होगा। भाग—एक में टेंडरदाता घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी जमा करने का प्रमाण, सहमति करार, स्वयं की पहचान सुनिश्चित करने एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु वांछित दस्तावेज तथा आयकर स्थायी लेखा क्रमांक (**PAN**) कार्ड, बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर तथा प्रस्तुत की जा रही जानकारी के संबंध में मूल नोटराइज़ शपथपत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेख एक लिफाफे में बंद कर रखेगा।
- 8.6 एक अन्य लिफाफे में वह पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के स्थल का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेंडर प्रपत्र के भाग—दो में प्रस्तुत करेगा। इसी लिफाफे में वह अपने ऑफर के 1/12 भाग की राशि का चैक टेंडर के दिनांक को अंकित कर रखेगा। टेंडर प्रपत्र के दोनों भाग “एक” व “दो” के लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में, इस तरह चिपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़ बिना, लिफाफे को खोला न जा सके। टेंडरदाता द्वारा सील्ड टेंडर परिशिष्ट क्रमांक—एक में घोषित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार प्रस्तुत किया जायेगा।
- 8.7 विधिवत् एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेंडर संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, जिला नीमच, जिला रत्लाम एवं जिला मन्दसौर के कार्यालय में परिशिष्ट क्रमांक—एक में उल्लेखित समयावधि में विहित प्रक्रिया अनुसार जमा किये जा सकेंगे।
- 8.8 उपरोक्त के अतिरिक्त विधिवत् एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सील्ड टेंडर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के कार्यालय में भी, संबंधित जिले (नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम) में टेंडर प्रपत्र खोलने की तिथि से क्रमशः दो दिन एवं एक दिन पूर्व तक कार्यालय समय में जमा किये जा सकेंगे, जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सील्ड) भेज दिया जायेगा।
- 8.9 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के प्रत्येक लायसेंस के लिए प्राप्त रामस्त टेंडरों की संख्या की घोषणा निष्पादन स्थल पर की जावेगी। निम्नांकित परिशिष्ट—एक में अधिसूचित स्थान, तिथि व समय पर सर्वप्रथम टेंडरदाताओं द्वारा प्रस्तुत टेंडर का भाग—एक खोला जाकर, टेंडरदाता

के टेंडर में भाग लेने की पात्रता की जाएगी। टेंडर प्रपत्र भाग-एक के अभिलेखों में अर्मेस्टमनी के विधिवत् जमा पाये जाने पर, अन्य अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर टेंडर प्रपत्र भाग-दो में प्राप्त ऑफर (फाईनेशियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा। इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार, संबंधित जिला कलेक्टर भौके पर ही करवा सकेंगे। लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका—समाधान के लिए, आबकारी आयुक्त से कलेक्टर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा।

- 8.9** टेंडरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेंडर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा करा सकता है। ऐसी रिथिति में टेंडरदाता, टेंडर प्रपत्र का भाग-एक प्रस्तुत नहीं करेगा। पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंस के लिए, प्रस्तुत अन्य टेंडरों का भाग-एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेंडरदाताओं की पात्रता के बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जावेगी।
- 8.10** जांच में समरत अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने पर ही, टेंडर के भाग-दो (फायरेंशियल बिड) को खोला जाएगा। अगर टेंडरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेंडर प्रपत्र का भाग-दो खोलने से, उसका ऑफर (फायरेंशियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेंडर प्रपत्र के भाग-एक अनुसार, टेंडरदाता अपात्र नहीं है, तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा अन्यथा नहीं।
- 8.11** टेंडर के माध्यम से प्राप्त उच्चतम ऑफर, जिले के तुलनात्मक राजस्व में अधिकतम वृद्धि की दृष्टि से, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंस के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा। घोषित आरक्षित मूल्य से कम राशि के प्राप्त ऑफर पर, संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिवेदन पर, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- 8.12** किसी पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक विक्रय के लिए पी.एस.-2 लायरेंस के लिये प्राप्त टेंडर में निर्धारित आरक्षित मूल्य या उससे अधिक समान उच्चतम राशि का टेंडर प्राप्त होता है, तो ऐसी रिथिति में उच्चतम ऑफरदाताओं के मध्य सफल टेंडरदाता का चयन लॉटरी द्वारा किया जायेगा।
- 8.13** टेंडर जमा करते समय अथवा टेंडर खोलने के दौरान टेंडरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में वाधक नहीं होगी।
- 8.14** टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेंडरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सर्वान्तर अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।
- 9. अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि/अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करना :-**
- 9.1** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंस के वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के प्रत्येक सफल टेंडरदाता को टेंडर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर (टेंडर राशि/वार्षिक लायरेंस फीस) का 1/4 भाग अग्रिम धन तत्काल जमा करना होगा। जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध टेंडरदाता के द्वारा टेंडर देने के पूर्व जमा की गई अर्मेस्टमनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक हैं, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी। शेष अग्रिम धन की राशि, नगद अथवा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेंडर द्वारा निष्पादन के पश्चात्, तुरन्त जमा करना होगी।
- 9.2** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंस के वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए सफल टेंडरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेंडरदाता को, अग्रिम धन की राशि का शेष भाग जमा करने के लिए, तीन दिवस का समय दे सकेंगे। तीन दिन की गणना करने में टेंडर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन (यदि कोई हो) छोड़ दिये जायेंगे।
- 9.3** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंस के वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए प्रत्येक सफल टेंडरदाता को टेंडर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर (टेंडर राशि/वार्षिक लायरेंस फीस) की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी अनुसूचित बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गरंटी अथवा स्थानीय शाखा पर देय एवं भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में टेंडर द्वारा निष्पादन के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में

टेप्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन (यदि कोई हो) छोड़ दिये जायेंगे।

- 9.4** अगर सफल टेप्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा ऐसी बैंक गारंटी की सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रत्युत करना होगी।
- 9.5** वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए प्रत्युत की जाने वाली, वांछित प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में प्रावधानित अनुसार **0.25 Percent of the amount, subject to a maximum of twenty five thousand rupees** मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी। प्रतिभूति राशि की उपरोक्तानुसार तैयार की गई बैंक गारंटी को ही स्वीकार किया जायेगा।
- 9.6** सफल टेप्डरदाता द्वारा टेप्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने, 1/4 अग्रिम धन या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलम्ब के कारण, यदि उसे लायसेंस विलम्ब से प्राप्त होता है तो, उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में, सफल टेप्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकती और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंस का टेप्डर द्वारा पुनः निष्पादन किया जायेगा। इस पुनः निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेप्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जायेगी।
- 9.7** सफल टेप्डरदाता को उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष 2015–16 की शेष अवधि हेतु देय लायसेंस फीस की मासिक आशिका के किसी अधिसूचित बैंक के अपने बचत/चालू बैंक खाते के माह जून 2015 से दिसम्बर 2015 तक की पहली तारीख को देय सात (07) पोस्टडेटेड चैक्स भी लाइसेंस जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी कर प्रस्तुत करना होंगे। सफल टेप्डरदाता द्वारा संलग्न किये गये शपथ पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि अनुज्ञितिधारक के रूप में प्रस्तुत किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिभूति की राशि के 07 पोस्ट डेटेड बैंक चैक्स के मामले में चैक जारीकर्ता बैंक को ठेका अवधि में चैक्स का भुगतान रोकने के लिए निर्देशित नहीं करलंगा। इन पोस्टडेटेड चैक्स का उपयोग लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस समय पर जमा न करने की स्थिति में देय/अवशेष लायसेंस फीस की वसूली के विरुद्ध किया जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस चुका दी जाती है तो, उपरोक्त पोस्टडेटेड चैकों को लायसेंसी को, प्राप्ति रसीद लेकर मूलतः वापस कर दिया जायेगा।
- 9.8** प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गयी 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30.06.2016 तक की होगी। इससे अल्प अवधि अथवा आंशिक वैधता अवधि की बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।
- 9.9** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी को शासन को देय किसी भी प्रकार की राशि की वसूली तथा/अथवा लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून 2016 तक अथवा इसके पूर्व 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवधर दिये जाने के उपरान्त, यदि शर्तों आदि के उल्लंघन की स्थिति में कोई शारित/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली/समायोजन के उपरान्त वापिस की जा सकती।
- 9.10** अतिरिक्त प्रतिभूति के पोस्टडेटेड चैक्स को छोड़कर, टेप्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली अन्य कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी।

**नोट:-** 1—सफल टेप्डरदाता का आशय ऐसे टेप्डरदाता से है, जिसका टेप्डर में अंकित ऑफर सर्वाधिक राशि का हो एवं स्वीकार किया गया हो।  
2—अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेप्डरदाता का होगा।

**10 वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना :-**

- 10.1** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के प्रत्येक सफल टेप्डरदाता को लायसेंस जारी किये जाने के पूर्व, माह मई 2015 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त मासिक किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस एवं आवश्यक परमिट दिए जायेंगे।

- 10.2** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को उसकी देय वार्षिक लायर्सेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा संबंधित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायर्सेंस फीस साढ़े दस से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अवशेष राशि, माह मई, 2015 की लायर्सेंस फीस में समायोजित की जायेगी।
- 10.3** यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस के लायर्सेंसी द्वारा देय मासिक लायर्सेंस फीस, उपरोक्त शर्त 10.2 के अनुसार एवं माह जून 2015 से संबंधित माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस को पॉपीस्ट्रा का क्रय/विक्रय निषेधित किया जा सकेगा। संबंधित माह की देय लायर्सेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में, ऐसे पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायर्सेंस निरस्त कर, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की कार्यवाही, संबंधित लायर्सेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनःनिष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायर्सेंसी से भू-राजरख की बकाया की भाति की जायेगी।
- 10.4** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लिए जमा  $1/4$  भाग अग्रिम की राशि माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2016 की देय लायर्सेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जायेगी।
- 10.5** वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की समाप्ति के पूर्व जब भी, अग्रिम धन ( $1/4$  भाग) तथा प्रतिभूति ( $1/12$  भाग) की राशि को कम कर, शेष सम्पूर्ण देय वार्षिक लायर्सेंस फीस तथा अन्य कोई देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायर्सेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन, शेष रही लायर्सेंस फीस के विरुद्ध चाहता है, तो कलेक्टर द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु लायर्सेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जाने वाली शास्ति / संधान राशि आदि की वसूली के लिए रूपये एक करोड़ तक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस के लिए रूपये एक लाख तथा रूपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस के लिए रूपये दो लाख की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में अथवा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत / जमा करना अनिवार्य होगी। प्रतिभूति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के पश्चात् ही, सम्पूर्ण लायर्सेंस फीस जमा होना मान्य किया जावेगा। कलेक्टर को अगर औचित्यपूर्ण ढंग से विचार कर यह विश्वास होता है कि रूपये एक लाख अथवा रूपये दो लाख की राशि, लायर्सेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के विरुद्ध अधिरोपित की जाने वाली शास्ति / संधान राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह अपने विवेक से अधिक एवं युक्तियुक्त राशि की मांग लायर्सेंसी से कर, जमा प्रतिभूति की  $1/12$  भाग की राशि के समायोजन की अनुमति प्रदान करेंगे।
- 11** टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में न दिये गये टेण्डर स्वीकार न करना :-
- वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का टेण्डर, जिसने टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय अथवा पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन यदि हुआ हो, तो पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के समय टेण्डर न दिया हो विचार योग्य नहीं होगा।
- 12** प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना :-
- वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस का निष्पादन अन्तिम होने के पश्चात्, संबंधित टेण्डरदाता को समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ही, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा। प्रतिरूप करार के निष्पादन एवं अन्य सभी प्रतिबन्धों की पूर्ति के उपरान्त ही, उसे संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय का लायर्सेंस जारी किया जायेगा।
- 13** निष्पादन अवधि में पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करना :-
- वर्ष 2015–16 की शेष अवधि के लिए अथवा वर्ष 2015–16 के मध्य में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायर्सेंस के पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करने की रिति उत्पन्न होने पर, लायर्सेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा। इस हेतु सूचना-पत्र, पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रत्यावित दिनांक से कम से कम पांच दिन पूर्व जारी करना होगा। सूचना-पत्र का प्रदर्शन संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा तथा समाचार पत्र में भी इसे यथासंभव प्रकाशित कराया जाएगा।

**14 वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करना :-**

वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए निष्पादन किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का टेण्डर, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के आदेशानुसार, किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का निष्पादन, टेण्डर द्वारा फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए यदि निष्पादन के दौरान ही पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो, तो इसकी सूचना पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 15 का पालन किया जायेगा। पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि, संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का किसी भी कारण से नियत तिथि को टेण्डर द्वारा निष्पादन सम्पन्न/अन्तिम नहीं होता है, तो उसके टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे। जिसकी घोषणा कलेक्टर द्वारा टेण्डर निष्पादन स्थल पर ही की जा सकेगी।

**15 पुनःनिष्पादन :-**

- 15.1** पुनःनिष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के समय उस लायसेंस, जिसका वह पुनःनिष्पादन चाहता है के टेण्डर द्वारा निराकरण की कार्यवाही में टेण्डर स्थल पर उपस्थित रहा हो तथा जो टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस के लिए टेण्डर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस के लिये उसके द्वारा भी टेण्डर दिया गया हो।
- 15.2** टेण्डर द्वारा अन्तिम किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनःनिष्पादन के लिये आवेदन, टेण्डर द्वारा निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनःनिष्पादन आवेदन के साथ, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस, जिसका वह पुनःनिष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम ऑफर के  $1/3$  भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके, बाकी राशि) नगद अथवा जिले के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में किसी भी अधिसूचित बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।
- 15.3** पुनःनिष्पादन के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि आवेदक टेण्डर की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का ऑफर देना चाहता हो। पुनःनिष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर टेण्डर स्थल में पुनःनिष्पादन की घोषणा करते हैं, तो कम से कम 5 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।
- 15.4** पुनःनिष्पादन होने की दशा में यदि आवेदनकर्ता पुनःनिष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर नहीं देता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी उच्चतम ऑफर के  $1/3$  भाग के बराबर जमा की गई राशि अथवा जमा अन्य कोई भी राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि पुनःनिष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित ऑफर से कम का ऑफर टेण्डर में अंकित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा ऑफर देने में असफल रहेगा, तो उसके द्वारा जमा की गयी राशि राजसात हो जायेगी। उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 15.5** किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के पुनःनिष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।
- 15.6** किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का पुनःनिष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय जिस टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।
- 15.7** पुनःनिष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।
- 16 उपरोक्त शर्त क्रमांक 13 एवं 15 के अधीन पुनःनिष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि टेण्डर के दिन टेण्डर स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है, तो ऐसे पुनःनिष्पादन की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार पत्र में प्रकाशित कराई जायेगी और संबंधित जिला कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सूचना का प्रदर्शन भी किया जाएगा।**

**17 खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना :-**

उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृत होने की पुष्टि तक टेण्डर में अंकित अपने ऑफर पर रिथर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे लायसेंस को पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने पर, जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह सम्बन्धित उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल की जायेगी। उपरोक्त हेतु एवं इसके अतिरिक्त किसी भी समय, टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 9 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किया गया है, तो इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी तथा जमा अग्रिम धन (1/4 भाग), जमा प्रतिभूति (1/12 भाग) तथा जमा की गई लायसेंस फीस आदि को भी, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा की गई अन्य कोई राशि भी खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जाएगी।

**18 लायसेंस की अवधि में टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना :-**

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस की टेण्डर द्वारा निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिए तथा वर्ष 2015-16 के दौरान होने वाले पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेंगी।

**19 लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण :-**

वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के दौरान, यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस का हस्तान्तरण, किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के पक्ष में किया जाना आवश्यक पाया जायेगा, तो इस हेतु संबंधित लायसेंस की वर्ष 2015-16 की शेष अवधि की वार्षिक लायसेंस फीस के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि, हस्तान्तरण फीस के रूप में प्रभारित की जाकर ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान किये जाने पर ही लायसेंस का हस्तान्तरण किया जायेगा। लायसेंस की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए, मूल लायसेंसी (अंतरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को बीच में हस्तान्तरण किया जायेगा (अंतरणग्रहिता) दोनों ही वाध्य रहेंगे।

**20 पी.एस.-2-क एवं अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस :-**

**20.1** वर्ष 2015-16 की शेष अवधि में पी.एस.-2-क लायसेंस की लायसेंस फीस रूपये 10,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक से देय होगी।

**20.2** वर्ष 2015-16 की शेष अवधि में पी.एस.-2 लायसेंस में प्रत्येक अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस रूपये 25,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक से देय होगी।

**21 पी.एस.-2 लायसेंसी द्वारा कृषकों से पॉपीस्ट्रा का क्रय :-**

**21.1** वर्ष 2015-16 की अवधि में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी को कृषकों द्वारा अफीम फसल वर्ष 2015 से उत्पादित पॉपीस्ट्रा, कृषकों के कृषि क्षेत्र अथवा भण्डारण स्थल से न्यूनतम रूपये 125/- प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करना होगा। कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा के न्यूनतम क्रय मूल्य में, शासन द्वारा कभी भी किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा।

**21.2** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में, अफीम के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर वर्ष 2015 में पॉपीस्ट्रा उत्पादन का आकलन कर, कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्ट्रा की सम्पूर्ण मात्रा का 40 प्रतिशत माह मई एवं माह जून, 2015 में, 30 प्रतिशत माह जुलाई, 2015 में एवं शेष 30 प्रतिशत माह अगस्त, 2015 में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी.एस. 2 लायसेंसी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होना। इस अनुपात से कम पॉपीस्ट्रा क्रय करने की रिथति में, जिले के अन्य क्षेत्रों के पी.एस.-2 लायसेंसी को, पॉपीस्ट्रा क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। 01 सितंबर 2015 के बाद 31 दिसम्बर, 2015 तक जिले के पी.एस.-2 लायसेंसी, जिले के अन्दर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा क्रय कर सकेंगे।

**21.3** किसी भी कारण से पॉपीस्ट्रा से थोक विक्रय (पी.एस.-2) से लायसेंस रद्द होने की रिथति में लायसेंसी को पॉपीस्ट्रा के बचे हुए समर्त स्टॉक की सूचना अविलम्ब अपने जिले के जिला आबकारी अधिकारी को देनी होगी। उसे जिले के जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में समस्त रिकार्ड अविलम्ब जमा कराना होगा एवं बचे हुए स्टॉक का निराकरण जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार करना होगा। निराकरण होने तक बचे हुआ स्टॉक, आबकारी

उप-निरीक्षक एवं निवर्तमान लायसेंसी की संयुक्त अभिरक्षा में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निराकरण होने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान लायसेंसी को ही देना होगा।

**21.4** पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसों के निष्पादन का यह अंतिम वर्ष होगा। वर्ष 2015-16 की शेष अवधि के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक क्रय एवं विक्रय के लिये स्वीकृत पी.एस.-2 लायसेंसों की अवधि समाप्त होने के दिनांक अर्थात् दिनांक 31 मार्च 2016 को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा नारकोटिक्स इंडस एण्ड साइकोट्रोफिक सबस्टेन्सेज अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंसी को बचे हुए पॉपीस्ट्रा के स्टॉक का नष्टीकरण लायसेंस की समाप्ति की अवधि के तत्काल बाद, जिले के कलेक्टर के आदेशानुसार करना/कराना होगा। निराकरण होने तक बचा हुआ रट्टॉक आबकारी उप-निरीक्षक एवं निवर्तमान लायसेंसी की संयुक्त अभिरक्षा में ऐसे स्थान पर रहेगा, जहां व्यवसाय किया जा रहा था एवं निराकरण होने तक उस स्थान का किराया, बिजली व्यय एवं अन्य अधिभार निवर्तमान लायसेंसी को ही देना होगा।

## 22 पॉपीस्ट्रा पर देय ड्यूटी व परिवहन फीस :-

**22.1** वर्ष 2015-16 में पॉपीस्ट्रा पर निर्धारित ड्यूटी/फीस निम्नानुसार रहेगी :-

(1) ड्यूटी :- पी.एस.-2 से पी.एस.-3 में परिवहन के समय	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
(2) परिवहन फीस :- पी.एस.-2 उत्पादक जिले से अन्य किसी भी पी.एस.-2 या पी.एस.-3 लायसेंसी को परिवहन के समय	रुपये 5/- प्रति किलोग्राम
(3) निर्यात फीस :- अन्तर्राज्यीय निर्यात हेतु	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
(4) आयात फीस :- अन्तर्राज्यीय आयात हेतु	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम

**22.2** वर्ष 2015-16 की अवधि में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी के अनुज्ञाप्त परिसर में, उसके संलग्न अतिरिक्त गोदाम/गोदामों से पॉपीस्ट्रा का परिवहन करने पर परिवहन किये जाने वाली मात्रा को विचार में लाये बिना, परिवहन फीस, रुपये 100/- प्रति परिवहन पास अग्रिम जमा करायी जायेगी।

**22.3** वर्ष 2015-16 की अवधि में किसानों से पॉपीस्ट्रा क्रय कर, परिवहन करने के लिये, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी द्वारा परिवहन किये जाने वाली, पॉपीस्ट्रा की मात्रा को विचार में लाये बिना प्रत्येक परिवहन पास (पी.एस.-5) के लिये, रुपये 100/- परिवहन फीस, अग्रिम जमा करायी जायेगी।

**23** आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायसेंस के टेण्डर को अंतिम किये जाने के उपरान्त भी, टेण्डर द्वारा निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/ तथा राजस्व के हित में विहित शर्तों के अध्यधीन, उसके पुनःटेण्डर द्वारा निष्पादन करने के आदेश, टेण्डर द्वारा निष्पादन अंतिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा। 07 दिवसों की गणना में निष्पादन का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

**24** अफीम उत्पादक जिलों से भिन्न गैर अफीम उत्पादक जिलों के लिए पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के (पी.एस.-3) लायसेंसों की व्यवस्था :-

मध्यप्रदेश राज्य के अफीम उत्पादक जिला नीमच, मन्दसौर एवं रत्लाम को छोड़कर शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंस नहीं रहेंगे। वर्ष 2015-16 की अवधि में केवल 18 जिलों यथा जिला देवास, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, इन्दौर, बुरहानपुर, खरगौन, खण्डवा, धार, बड़वानी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़ एवं अनूपपुर में ही पी.एस.-7 धारक पंजीकृत व्यसनियों को नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया के अधीन पॉपीस्ट्रा का फुटकर विक्रय करने के लिए, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायसेंस, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 3,00,000/- (रुपये तीन लाख केवल) के समेकित एवं अग्रिम भुगतान पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

**25 अन्य व्यवस्थाएँ :-**

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायरेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन एवं निश्चित वार्षिक लायरेंस फीस पर पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायरेंसों की स्वीकृति एवं ऐसे लायरेंसों के संचालन के संबंध में, जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख पृथक से नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएँ वर्ष 2014-15 में प्रयोगित व्यवरथा अनुसार पूर्ववत् / यथावत् लागू रहेंगी।

**26**

पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के लायरेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन, नारकोटिक्स इग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेन्सेज अधिनियम, 1985 जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अन्तर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबन्धों के अन्तर्गत एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेगा।

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.

**परिशिष्ट -एक**

**पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायरेंसों के निष्पादन हेतु टेण्डर प्रपत्रों के विक्रय,  
टेण्डर प्रपत्र जमा किये जाने व टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही  
की जिलावार तिथि, समय व स्थान का विवरण**

क्र.	नाम जिला	निष्पादन स्थल	टेण्डर प्रपत्र विक्रय की अवधि व समय	टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय	टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय
1	जिला नीमच	कलेक्टोरेट, जिला नीमच	दिनांक 05 मई 2015 से दिनांक 11 मई 2015 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 12 मई, 2015 को दिन 13:00 बजे तक	दिनांक 12 मई, 2015 को अपराह्न 14.00 बजे तक	दिनांक 12 मई, 2015 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक
2	जिला मन्दसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मन्दसौर	दिनांक 05 मई 2015 से दिनांक 12 मई 2015 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 13 मई, 2015 को दिन 13:00 बजे तक	दिनांक 13 मई, 2015 को अपराह्न 14.00 बजे तक	दिनांक 13 मई, 2015 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक
3	जिला रत्तलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रत्तलाम	दिनांक 05 मई 2015 से दिनांक 13 मई 2015 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 14 मई 2015 को दिन 13:00 बजे तक	दिनांक 14 मई, 2015 को अपराह्न 14.00 बजे तक	दिनांक 14 मई, 2015 को अपराह्न 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक

राकेश श्रीवास्तव, आबकारी आयुक्त.